<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत तिमाही रिपोर्ट (31 मार्च, 2009 को समाप्त तिमाही (01.01.2009 से 31.03.2009 तक)</u>

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	331
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	4, धारा 8(1)(ज)- दो बार, धारा 8(1)(ज)- एक बार, धारा 7(9)- एक बार।
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	**2** अपीलें मुख्य सूचना आयुक्त को भेजी गई थीं। दोनों पर निर्णय ले लिया गया है। पहले में, मुख्य सूचना आयुक्त ने आयोग को निदेश दिया है कि आवेदक को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करें और अन्य निर्णय भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिए गए हैं।
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ड.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	**4612/- रूपए**
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	भारत निर्वाचन आयोग ने आर टी आई अनुरोधों के और बेहतर निपटान के लिए अपने सभी अवर सचिवों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	1. पाया गया है कि आवेदकों ने एक आवेदन में अनेक सूचनाओं के लिए अनुरोध किया था। एक आवेदन में एक प्रश्न के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। 2. आवेदक को विशिष्ट सूचना पूछनी चाहिए।

(ए. एन. दास)
अवर सचिव
एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी